Wherever excess payment to an exporter is reported by the Audit Authorities, the same is adjusted from the subsequent CCS claims. However, the payments are not withheld.

Exports of leather and leather Goods

1909. DR. NAUNIHAL SINGH : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the exports of leather and leather goods are expected to fall short of the target this year ;

(b) if so, to what extent the fall is going to be in terms of value, the reasons thereof ; and

(c) what are the details of steps Government have taken to contain the fall in leather exports ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) to (c) Based on the trend of exports, it is expected that overall there would be a shortfall of about Rs. 300 crores out of a target of Rs. 4768 crores in the exports for the current year 1993-94. Within this, the exports of leather footwear, which was an item identified under the Extreme Focus Programme, is expected to exceed the target.

The short-fall is due to a number of reasons which include recessionary conditions in our major markets and the conditions prevailing in the countries comprising of the former Soviet Union.

The Government has taken steps inter-alia to strengthen marketing campaigns in our major markets such as USA and European Community, promote integrated product development with a view to strengthen the supply base for value added quality products and in removing constraints in the easy availability of raw-material, components and consumables for the leather industry. The Customs duty on some of the raw-materials, components and consumables used in the leather industry has also been reduced substantially.

औने-पौने दामों पर बाजार का पाटा जाना रोकने के लिए शुल्क लगाया जाना

1910. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राधा किशन मालवीय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारतीय उत्पादकों को सस्ते दामों पर उन देशों को भेजे जाने पर अंकुश लगाने के लिए उन पर औने-पौने दामों पर बाजार का पाटा जाना रोकने सम्बन्धी शुल्क लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या भारत भी कतिपय उत्पादों पर औने-पौने दामों पर बाजार का पाटा जाना रोकने सम्बन्धी शुल्क लगाएगा जिससे भारतीय उत्पादकों के हितों को संरक्षण प्रदान किया जा सके ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) पाटनरोधी शुल्क यह प्रमाणित होने के बाद ही लगाया जाता है कि डंपिंग हुई है और इस तरह के डंप किए गए आयात से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का खतरा है अथवा घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तव में बाधा आएगी । आयातक देशों के जांच प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले मामले की जांच कर लेते हैं ।

संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत से इस्पात पाइपों एवं ट्यूबों, सल्फैनिलिक एसिड, स्टेनलैस स्टील की तार-छड़ों और स्टेनलैस स्टील के फ्लैंजेज़ के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है । ईईसी ने भारत से ऑक्सैलिक एसिड, पोलिएस्टर यार्न और सिन्थेटिक स्टेपल फाइबर के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है ।